न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 266/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/364)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मलकीत सिंह उर्फ बलजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. जसकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरचरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 17.08.2023

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी
2. श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

––निर्णय–– **दिनांकः 27.10.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 ओ बी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 45/45 में वादी के नाम 0.784 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम 22 ओ बी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 26/26 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.101 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 0.657 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण की मुरब्बा नम्बर 29, 33 की कृषि भूमि पारिवारिक सम्पति है, जो उनको पारिवारिक सहमति बंटवारा दिनांक 08.01.2019 को विभाजित होकर हिस्सा अनुसार प्राप्त हुई है। पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी को मुरब्बा नम्बर 29 में संयुक्त खातेदारान के साथ भूमि प्राप्त हुई थी। मुरब्बा नम्बर 29 राजस्व अभिलेख में संयुक्त है और समस्त काश्त भी संयुक्त चली आ रही है लेकिन मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 24/2 का 0.101 हैक्टेयर बंटवारा में मुझ वादी को प्राप्त हुआ है। बंटवारा में प्राप्त भूमि का नामान्तरण वादी के नाम से अवश्य हो चुका है। लेकिन सहवन से 0.101 हैक्टेयर भूमि का रकबा चक 22 ओ बी के खाता संख्या 26/26 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आज भी राजस्व जमाबन्दी में चला आ रहा है। लेकिन उक्त रकबा पर कब्जा मुझ वादी का है। वादी ने सहमति बंटवारानामा दिनांक 08.01.2019 की पालना में खाता संख्या 26 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.101 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण वादी के पक्ष में करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गए। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ बी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 26/26 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.101 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जवाबदावा के अनुसार बंटवारानामा दिनांक 08.01.2019 पर सभी खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उक्त बंटवारानामा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत करवाया गया है। संयुक्त खाता की भूमि होने के कारण उक्त बंटवारानामा का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया ।
3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-
(i)आया कि क्या वादी, राजस्व ग्राम 22 ओबी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अभि.नि. क्षेत्र 9 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 29, 33 की कुल 0.758 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.101 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

सहायक कलक्टर एव पदन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

(ii)आया कि क्या वादी बंटवारानामा दिनांक 08.01.2019 के आधार पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1-

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 22 ओ बी के खाता संख्या 26/26 की प्रति, प्रदर्श-2 चक 22 ओ बी के खाता संख्या 45/45 की प्रति, प्रदर्श-3 बंटवारानामा दिनांक 08.01.2019 की प्रति प्रदर्शित करवाए तथा स्वंय वादी मलकीत सिंह का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। वकील प्रतिवादी के द्वारा जिरह की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। वकील प्रतिवादी के द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में गवाह मनप्रीत सिंह, राजा सिंह के द्वारा शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किए। सामिल मिसल रहे।

5. वादी मलकीत सिंह व प्रतिवादी जसकरण सिंह, हरचरण सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर समझौतानामा पेश किया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। समझौतानामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा समझौतानामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। समझौतानामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। समझौतानामा अनुसार चक 22 ओबी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 24/2 की 0.101 हैक्टेयर भूमि का वादी मलकीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है।

6. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा, समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

7. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति सावित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ बी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 29, 33 की कुल 0.758 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जसकरन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम दर्ज 0.101 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 24/2 की 0.101 हैक्टेयर भूमि का वादी बलजीत सिंह उर्फ मलकीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मलकीत सिंह उर्फ बलजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।		1. जसकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. हरचरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

प्रकरण संख्याः 262/2023

निर्णय दिनांक :-03.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, प्रतिवादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 22 ओ बी, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 26/26 के मुरब्बा नम्बर 29, 33 की कुल 0.758 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 जसकरन सिंह पुत्र सरजीत सिंह के नाम दर्ज 0.101 हैक्टेयर भूमि में से मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 24/2 की 0.101 हैक्टेयर भूमि का वादी मलकीत सिंह उर्फ बलजीत सिंह पुत्र सरजीत सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 27.10.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/2025/794 दिनांकः 27.10.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)